# राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद्
# (राजीविका)

तृतीय तल – आरएफसी ब्लॉक, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर
फोन नं.0141-2227011, 2227416, फैक्स -0141-2227723

क्रमांकः प.13 (3)आरजीएवीपी/2013/1226-1354 दिनांकः– 3/1/14

**परिपत्र**

विषय :– **कम्युनिटी मोबिलाइजर का कार्य कर रहे व्यक्तियों के क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण संबंधी मार्गदर्शी दिशा–निर्देश बाबत।**

राजीविका अन्तर्गत उत्थान संस्थानों द्वारा कम्युनिटी मोबिलाइजर रखा जाता है। कम्युनिटी मोबिलाइजर इन संस्थाओं के समस्त रिकार्ड संधारण के साथ–साथ स्वयं सहायता समूहों व बुक कीपर को प्रशिक्षण देने एवं सामाजिक सरोकार के कार्य भी करते है। ऐसे में इनका व्यापक क्षमतावर्धन आवश्यक है। इसे ध्यान में रखते हुए कम्युनिटी मोबिलाइजर के लिए निम्न प्रकार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराये जा सकेंगे

1. प्रशिक्षण की कुल अवधि 13 दिवस की होगी, जिसमें क्लासरूम प्रशिक्षण एवं इमरशन शामिल है।

| क्र.सं. | प्रशिक्षण प्रकार | अवधि | कब | विषय वस्तु |
|---|---|---|---|---|
| 1 | क्लासरूम प्रशिक्षण | चार दिन | पहचान के एक माह में | सांकेतिक कार्यक्रम संलग्न |
| 2 | ईमरशन | छः दिन | पहचान के तीन माह में | आदेश क्रमांक 840–919, दिनांक 31.01.2013 एवं क्रमांक 761–824, दिनांक 18.04.2013 के मापदण्डों के अनुसार राजीविका स्टॉफ के इमरशन कार्यक्रम की तर्ज पर करवाया जाना है। |
| 3 | क्लासरूम प्रशिक्षण | तीन दिन | पहचान के 6–9 माह में | सांकेतिक कार्यक्रम संलग्न |
| 4 | एक्सपोजर विजिट (राज्य के भीतर ) | दो दिन | पहचान के एक वर्ष बाद | बेस्ट प्रेक्टिस स्थान पर जहां कम्युनिटी मोबिलाइजर बहुत अच्छा कार्य सम्पादित कर रहे हो। |

2. राज्य से बाहर ईमरशन कार्यक्रम एसपीएमयू स्तर से पृथक से आदेश जारी कर कराया जावेगा, जिसके लिए सम्बन्धित जिला परियोजना प्रबन्धक प्रस्ताव भिजवायेंगे।
3. क्लासरूम प्रशिक्षण आयोजन में व्यय के लिए मुख्यालय के आदेश क्रमांक प. 13 (3) आरजीएवीपी/2013/7045–120, दिनांक 04.10.2013 के साथ भिजवाये इकाई लागत एवं इमरशन के लिए आदेश क्रमांक 761–824, दिनांक 18.04.2013 के साथ भिजवाये इकाई लागत मान्य होंगे, परन्तु प्रशिक्षण में व्यय करने की सीमा रू. 460/– प्रतिदिन/प्रतिव्यक्ति से अधिक नही होगी।
4. जिन कम्युनिटी मोबिलाइजर को CRP/PRP/राजीविका द्वारा प्रशिक्षण दिया जा चुका है, उन्हें दोबारा प्रशिक्षण की आवश्यकता नही है। रिसोर्स ब्लॉक (SERP) में कम्युनिटी मोबिलाइजर के प्रशिक्षण की अनुमति के लिए पृथक से प्रस्ताव भिजवाये।
5. दोनों क्लासरूम प्रशिक्षण कार्यक्रमों से पूर्व संदर्भ व्यक्तियों के लिए दो दिवसीय "प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण" कार्यक्रम आयोजित कराया ज सकेगा।

6. प्रशिक्षण के लिए कम्युनिटी मोबिलाइजर (चयनित/चिन्हित) के नाम सम्बन्धित उत्थान संस्थानों से प्राप्त किये जाने चाहिए। प्रथम क्लासरूम प्रशिक्षण के लिए उत्थान संस्थान द्वारा सुझाये गये दो–तीन व्यक्तियों/सदस्यों को शामिल किया जा सकेगा, जिससे यदि एक व्यक्ति छोड़ भी दे तो संस्थान का कार्य सुचारू रूप से चलता रहेगा। उत्थान संस्थान स्वयं के विवेक से इमरशन तथा द्वितीय क्लासरूम प्रशिक्षण के लिए एक उत्थान संस्थान से एक ही कम्युनिटी मोबिलाइजर को शामिल किया ज़ा सकेगा।
7. औपचारिक प्रशिक्षण के अलावा क्षेत्र भ्रमण के दौरान भी पीएफटी, डीपीएमयू तथा एसपीएमयू स्टाफ समय–समय पर कम्युनिटी मोबिलाइजर का मार्गदर्शन करेंगे।
8. उत्थान संस्थान के साथ कम्युनिटी मोबिलाइजर का कार्य करने वाले को प्रशिक्षण दे दिया है, इस बाबत का इन्द्राज उस संस्थान के रिकार्ड में करावें।
9. प्रशिक्षण यथासंभव स्थानीय स्तर पर करवाये जावें और प्रशिक्षणों में मित्तव्ययता का पूर्ण ध्यान रखा जावे।
10. यदि रिफ्रेशर प्रशिक्षण की आवश्यकता हो तो मय कारणों के प्रस्ताव मुख्यालय को भिजवाये।
11. जिलें में कम्युनिटी मोबिलाइजर से सम्बन्धित कराये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों की माहवार योजना बनाकर मुख्यालय को भिजवाये।

(सुबीर कुमार) आई.ए.एस.
स्टेट मिशन डायरेक्टर
आजीविका परियोजनाएँ एवं स्वयं सहायता समूह

**क्रमांकः प.13 (3)आरजीएवीपी/2013** **दिनांकः–**

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–
1. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
2. श्रीमान जिला क्लेक्टर, समस्त
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त
4. वित्तीय सलाहकार, राजीविका।
5. परियोजना निदेशक (LPs &SHGs/LH/M&E), एसपीएमयू
6. महाप्रबन्धक/प्रबन्धक/विशेषज्ञ एसपीएमयू समस्त
7. जिला परियोजना प्रबन्धक, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, समस्त

परियोजना निदेशक
(आजीविका परियोजनाएं एवं स्वयं सहायता समूह)

# राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद्
# (राजीविका)
## कम्युनिटी मोबिलाईजर के दो प्रशिक्षणों का सांकेतिक कार्यक्रम

| प्रथम प्रशिक्षण | | |
|---|---|---|
| **प्रथम दिवस – Day 1** | | |
| **सत्र** | **समय** | **क्रिया–कलाप (Activities/Topic)** |
| प्रथम | डेढ़ घण्टे | (1) राजीविका, परिचय, उद्देश्य |
| द्वितीय | डेढ़घण्टे | (2) योजनाओं की जानकारी –<br>एनआरएलएम, एनआरएलपी व आरआरएलपी |
| तृतीय | डेढ़ घण्टे | (3) गरीबी के प्रकार, गरीब का जीवन, आजीविका एवं महिलाओं की भूमिका |
| **मध्याह्न (Lunch)** | | |
| चतुर्थ | डेढ़ घण्टे | (4) स्वयं सहायता समूह – संरचना, कार्यप्रणाली, महत्व, नेतृत्व आदि |
| पंचम | डेढ़ घण्टे | (5) कम्युनिटी मोबिलाईजर – योग्यता, चयन, दायित्व, करें/नही करें |
| | | (6) फीडबैक |
| **द्वितीय दिवस – Day 2** | | |
| प्रथम | डेढ़ घण्टे | (1) ग्राम प्रवेश एवं कम्युनिटी मोबिलाइजेशन |
| द्वितीय | डेढ़ घण्टे | (2) उत्थान संस्थान – संरचना, निर्माण प्रक्रिया |
| तृतीय | डेढ़ घण्टे | (3) उत्थान संस्थान – उपसमितियां (गठन एवं दायित्व) |
| **मध्याह्न (Lunch)** | | |
| चतुर्थ | डेढ़ घण्टे | (4) उत्थान संस्थान – पुस्तकों का प्रकार एवं संधारण |
| पंचम | डेढ़ घण्टे | (5) उत्थान संस्थान – पुस्तकों के संधारण का व्यवहारिक अभ्यास |
| | | (6) फीडबैक |
| **तृतीय दिवस – Day 3** | | |
| प्रथम | डेढ़ घण्टे | (1) उत्थान संस्थान – पदाधिकारियों का चयन एवं उत्तरदायित्व |
| द्वितीय | डेढ़ घण्टे | (2) सूक्ष्म साख योजना – प्रक्रिया एवं मूल्यांकन |
| तृतीय | डेढ़ घण्टे | (3) सूक्ष्म साख योजना – व्यवाहरिक अभ्यास |
| **मध्याह्न (Lunch)** | | |
| चतुर्थ | डेढ़ घण्टे | (4) सामुदायिक निवेश कोष – ट्रेंच–1, ट्रेंच–2, स्वास्थ्य सुरक्षा कोष, खाद्य सुरक्षा कोष, चारा सुरक्षा कोष आदि |
| पंचम | डेढ़ घण्टे | (5) कम्युनिटी कैडर – बुक कीपर, पैरा–प्रोफेशनल आदि योग्यता, चयन एवं दायित्व |
| | | (6) फीडबैक एवं मूल्यांकन |
| **चतुर्थ दिवस – Day 4** | | |
| प्रथम | डेढ़ घण्टे | (1) स्वयं सहायता समूह – लेखा पुस्तकें एवं उनका संधारण |
| द्वितीय | डेढ़ घण्टे | (2) उत्थान संस्थान – समूह एवं फैडरेशन के साथ समन्वय एवं दायित्व |
| तृतीय | डेढ़ घण्टे | (3) उत्थान संस्थान से परियोजना कार्यालय को सूचनाओं (एमआईएस) का सम्प्रेषण |
| **मध्याह्न (Lunch)** | | |
| चतुर्थ | डेढ़ घण्टे | (4) समूह निर्माण – बीपीएल, बीपीएल प्लस, गरीब की सहभागिता आधारित पहचान |
| पंचम | डेढ़ घण्टे | (5) मूल्यांकन – चार दिवसीय प्रशिक्षण पर आधारित |
| | | (6) फीडबैक |

| | | |
|---|---|---|
| **द्वितीय प्रशिक्षण** | | |
| **प्रथम दिवस – Day 1** | | |
| प्रथम | डेढ़ घण्टे | (1) सनाजिक समावेश |
| द्वितीय | डेढ़ घण्टे | (2) सामुदायिक संस्थाओं का बैंक लिंकेज |
| तृतीय | डेढ़ घण्टे | (3) सरकारी योजनाएं एवं गरीबों का एनटाईटलमेंट |
| **मध्याह्न (Lunch)** | | |
| चतुर्थ | डेढ़ घण्टे | (4) उत्थान संस्थान – लेखा पुस्तकों का पुनरावलोकन |
| पंचम | डेढ़ घण्टे | (5) उत्थान संस्थान – सामाजिक सुरक्षा एवं एनटाईटलमेंटस् |
| | | (6) फीडबैक |
| **द्वितीय दिवस – Day 2** | | |
| प्रथम | डेढ़ घण्टे | (1) कम्युनिटी मोबिलाइजर – भूमिका एवं करें/नही करें |
| द्वितीय | डेढ़ घण्टे | (2) उत्थान संस्थान से परियोजना कार्यालय को सूचनाओं (एमआईएस) का समप्रेषण |
| तृतीय | डेढ़ घण्टे | (3) कम्युनिटी लेबल प्रोक्युरमेंट प्रोसेस |
| **मध्याह्न (Lunch)** | | |
| चतुर्थ | डेढ़ घण्टे | (4) आजीविका – गरीब, संसाधन, विकल्प, संवर्द्धन |
| पंचम | डेढ़ घण्टे | (5) आजीविका संवर्द्धन एवं पर्यावरण संरक्षण |
| | डेढ़ घण्टे | (6) फीडबैक |
| **तृतीय दिवस – Day 3** | | |
| प्रथम | डेढ़ घण्टे | (1) पुनरावलोकन – कम्युनिटी मोबिलाइजर के अनुभवों पर चर्चा |
| द्वितीय | डेढ़ घण्टे | (2) गरीब एवं अतिगरीब की पहचान की प्रक्रिया |
| तृतीय | डेढ़ घण्टे | (3) कम्युनिटी मोबिलाइजर – संदर्भ व्यक्ति/प्रशिक्षक के रूप में भूमिका |
| **मध्याह्न (Lunch)** | | |
| चतुर्थ | डेढ़ घण्टे | (4) सामुदायिक संस्थाएं – वित्तीय समावेशन का पुनरावलोकन |
| पंचम | डेढ़ घण्टे | (5) मूल्यांकन |
| | | (6) फीडबैक |

**नोट** :– (1) व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए उत्थान संस्थाओं की वास्तविक पुस्तकों का उपयोग करें।

(2) उत्थान संस्थाओं के रिकार्डस् में सही ढंग से इन्द्राज की प्रविष्ठियों की फोटो प्रतियां भी उदहारणस्वरूप प्रशिक्षण सामग्री के रूप में कम में ली जा सकती है।